भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 145
दिनांक 25 नवंबर, 2024

अनधिकृत खुदाई के कारण भूमिगत गैस और तेल पाइपलाइनों में आग लगने की घटनाएं

145 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को अनधिकृत खुदाई के कारण भूमिगत गैस और तेल पाइपलाइनों में आग लगने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) भूमिगत तेल और गैस पाइपलाइनों को अनधिकृत खुदाई से बचाने के लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर खुदाई के लिए पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता संबंधी नियम तय करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भूमिगत गैस और तेल पाइपलाइनों के बारे में अपर्याप्त जानकारी के कारण अक्सर खुदाई के दौरान रिसाव हो जाता है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): तेल और गैस कम्पनियां, अनधिकृत खुदाई के कारण भूमिगत गैस और तेल पाइपलाइनों में आग लगने की घटनाओं सहित जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती हैं तो इस सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट करती है।

(ख): तेल और गैस कम्पनियों ने भूमिगत तेल और गैस पाइपलाइनों को अनधिकृत खुदाई से बचाने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) सिस्टम की रियल टाइम निगरानी, नियमित सुरक्षा गश्त, लीक डिटेक्शन सिस्टम (एलडीएस), जन जागरूकता अभियान, पाइपलाइन इन्ट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम (पीआईडीएस), निगेटिव प्रेशर वेव लीक डिटेक्शन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित पाइपलाइन की मैपिंग आदि शामिल हैं।

(ग): पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (पीएंडएमपी) अधिनियम, 1962 प्रयोक्ता के अधिकार (आरओयू) क्षेत्रों में पाइपलाइन में स्थायी संरचनाओं के निर्माण या वृक्षारोपण को प्रतिबंधित करता है और पाइपलाइनों को क्षति पहुँचाने के लिए कारावास सहित दंड का प्रावधान करता है। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तत्वावधान में, आसपास के क्षेत्र में किसी भी नई परियोजना को गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करके प्रयोक्ता मालिकों को अधिसूचित किया जाता है। यह संभावित उल्लंघन को चिह्नित करने में सहायता करता है। दूरसंचार विभाग ने एक एप्लिकेशन सीबीयूडी (कॉल बिफोर यू डिग) विकसित किया है और इसे तेल और गैस कम्पनियों द्वारा उत्खनन एजेंसियों और तेल और गैस कम्पनियों जीए (भौगोलिक क्षेत्र) के बीच समन्वय की सुविधा के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं एवं सीजीडी (नगर गैस वितरण) के अवसंरचनात्मक ढांचे की क्षति को कम किया जा सके। । पाइपलाइन स्थलों की पहचान करने, पाइपलाइन की गहराई निर्धारित करने और क्रॉसिंग कार्य के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) मौजूद हैं। इस प्रकार, तेल और गैस कम्पनियां भूमिगत गैस और तेल पाइपलाइनों को सुरक्षित करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार की एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखती हैं।

***